

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना

(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

26-03-2013


विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-9-680/09 में आवेदक श्री सोनल कुमार, पिता-स्व० नवीन कुमार, सा०-मेसर्स सत्या गैस एजेन्सी, रोड नं०-16, थाना-गर्दनीबाग, जिला-पटना, स्थायी पता-ग्राम+पो०-अमहारा, थाना-बिहटा, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर० रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई।

आवेदक अनुपस्थित। विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूर्व समर्पित लिखित बयान में अंकित किया गया है कि आवेदक के स्वर्गीय पिता के अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र मेसर्स प्रेमलता एण्ड सन्स, आग्नेयास्त्र विक्रेता के यहाँ जमा है। आवेदक अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति चाहते हैं।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक-998/गो०, दिनांक-08.05.2010 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एन०पी०बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन को अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग के द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक एक गैस एजेन्सी के व्यवसायी हैं, जिनका पैसा पूर्व में अपराधियों द्वारा लूटा गया था, जिस संदर्भ में सचिवालय थाना कांड सं०-59/07 अंकित है। थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा पूर्व समर्पित लिखित बयान में अंकित तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक श्री सोनल कुमार को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/आशंका है।


शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री सोनल कुमार, पिता-स्व० नवीन कुमार, सा०-मेसर्स सत्या गैस एजेन्सी, रोड नं०-16, थाना-गर्दनीबाग, जिला-पटना, स्थायी पता-ग्राम+


 26

पो0-अमहारा, थाना-बिहटा, जिला-पटना को उनके जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

लेखापित एवं सशोधित।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।